विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1712/वि0स0/संसदीय/02(सं)/2016

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक : 19 दिसम्बर, 2016

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 1665/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2016 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल ने वित्तीय वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगें, वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आय-व्ययक (अन्तरिम) तथा उसके एक भाग के लिये लेखानुदान को सदन में प्रस्तुत किये जाने के लिये दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 की तिथि नियत की है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगें, वित्तीय वर्ष 2017-18 का आय-व्ययक (अन्तरिम) तथा उसके एक भाग के लिये लेखानुदान उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को अपराह्न 12.20 बजे सदन में प्रस्तुत किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 से दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 तक के उपवेशनों का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि वह माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ है, संलग्नक-एक के रूप में आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

उक्त कार्यक्रम में असरकारी दिवस उपलब्ध नहीं कराया गया है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

(संलग्नक-एक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 से दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 तक का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ

दिसम्बर, 2016

21 बुधवार

1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

2-12.20 बजे अपराह्न

(1) वित्तीय वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

(2) वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक (अन्तरिम) का प्रस्तुतिकरण।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-2018 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण।

22 गुरुवार

1-वित्तीय वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-वित्तीय वर्ष 2017-2018 के एक भाग के लिये लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, उस पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-विधायी कार्य।

4-अन्य कार्य यदि कोई हो।

पी0एस0यू0पी0-एल0 204 विधान सभा (335)-19-12-2016-1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर)।